राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	नाथी 1773/2025 बनाम कल्याण हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

08/01/2026

पत्रावली प्रस्तुत हुई | अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित | अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी | पत्रावली वास्ते निर्णय हेतु दिनांक 12/01/2026 को पेश हो |

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

12/01/2026

आज यह पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई | संक्षेप में तथ्य प्रकरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद बाबत घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा का पेश किया, जिसके पश्चात अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रतिवादी संख्या 1 की और से प्रार्थना पत्र आदेश 07 नियम 11 सीपीसी प्रस्तुत किये जाने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय व डिक्री दिनांक 17/10/2015 पारित करते हुए प्रार्थना पत्र 07 नियम 11 सीपीसी स्वीकार कर वादिया का वाद विधि, कानून व आज्ञापक प्रावधानों के विपरित तथा तुच्छ व परेशान करने वाला वाद होना धारित करते हुए एवं वादिया का वाद पत्र को धारा 151 सीपीसी में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये अस्वीकार कर ख़ारिज फरमा दिया गया | जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा इस न्यायालय के समक्ष यह अपील प्रस्तुत की गयी है | जिस पर अधिवक्ता उभयपक्ष की मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी |

अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर गौर किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया | उद्धरित तथ्यों के परिपेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का मय अपीलाधीन निर्णय व डिक्री अवलोकन किये जाने से यह जाहिर होता है कि सुयोग्य अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रश्नाधीन घोषणा के वाद को राजस्व न्यायालय को रजिस्टर्ड दस्तावेज की वैधता अथवा अवैधता का निर्धारण करने का क्षेत्राधिकार प्राप्त नही होना धारित कर ख़ारिज किया गया है जबकि विधि के प्रावधानों के अनुसार कृषि आराजी में घोषणा के बिन्दु को तय किये जाने का क्षेत्राधिकार केवल मात्र राजस्व न्यायालय को ही है एवं कृषि भूमि के सन्दर्भ में समस्त साक्ष्य सबूतों को तनकीवार विश्लेषण/विवेचन करते हुये तय किया जाना विचारण राजस्व न्यायालय के लिये आवश्यक था किन्तु ऐसा नही कर सरसरी तौर पर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित करते हुये प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 जाप्ता दीवानी स्वीकार कर प्रश्नाधीन घोषणा के वाद को ख़ारिज करने में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिक त्रुटी किया जाना जाहिर होता है | अत: अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 17/10/2015 निरस्त किये जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे तनकीयात कायम कर साक्ष्य-सबूत प्राप्त कर तनकीवार साक्ष्य-सबूत

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	नाथी बनाम कल्याण हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

का विस्तृत परिक्षण/विवेचन करते हुये विधिसम्मत निर्णय व डिक्री पारित करे। तदनुसार अपील स्वीकार की जाती है।

पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 12/01/2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर